

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चम्पावत ।

फौ० अपील सं० 14 सन 2022

राज्य उत्तराखण्ड

बनाम

सूरज भट्ट

- (06) **30-05-2023** पत्रावली पेश । पुकार पर अपीलार्थी उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विद्वान डी०जी०सी० श्री वी०डी० जोशी तथा उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस०सी० जोशी उपस्थित ।

उत्तरदाता सूरज भट्ट की हाजिरी माफी तथा धारा-437ए दं०प्र०सं० की अनुपालना हेतु अन्य तिथि चाहने बाबत स्थगन प्रार्थना पत्र-9ख द्वारा विद्वान अधिवक्ता पेश । न्यायहित में स्वीकृत । उत्तरदाता को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा-437ए दं०प्र०सं० की अनुपालना हेतु ₹ 25,000/-का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानत पेश करना सुनिश्चित करें ।

पत्रावली वास्ते धारा-437ए दं०प्र०सं० की अनुपालना दिनांक **25-07-2023** को पेश हो ।

(कहकशा खान)

सत्र न्यायाधीश, चम्पावत ।